


राजा बनाम हसनखॉ

01.04.22

पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में फरीकेन का आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। इस कारण अपीलांट अब अपनी अपील आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अपीलांट अपील इसी स्टेज पर विद्वा करना चाहते हैं। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विद्वावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 27-07-2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट इस आधार पर अपील विद्वा करना चाहते हैं कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट स्वयं ही व्यथित थे व अब वे ही उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अन्य भूमि प्राप्त होने के आधार पर विद्वा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट स्वयं बाधित है तथा भविष्य में अपीलांट अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात् रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगे। लिहाजा अपीलांट की अपील जरिये विद्वावल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।



(रामस्वरूप चौहान)

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

